

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

दिनांक-23.11.2020

ऑनलाईन सेवा प्राथमिकता क्रम के संबंध में

आरएस परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत आयोग के शुद्धि पत्र संख्या 07/2020-21 दिनांक 23.11.2020 के क्रम में उक्त परीक्षा के मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व में प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.08.2020 व 01.10.2020 द्वारा ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम भरे गये हैं, को सूचित किया जाता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2020 द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के पदों को राज्य सेवा में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप नये सिरे से ऑनलाईन सेवा प्राथमिकता क्रम भरवाये जा रहे हैं जिसके क्रम में अभ्यर्थी निम्नांकित दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें :-

1. **ऑनलाईन सेवा प्राथमिकता क्रम :-** उक्त परीक्षा के अन्तर्गत नॉन-टीएसपी पदों का नवीनतम वर्गवार चार्ट दिनांक 23.11.2020 को तथा टीएसपी पदों हेतु दिनांक 04.05.2018 को विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है। मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में ऑनलाईन सेवा प्राथमिकता क्रम भरे हैं, वे सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अथवा SSO पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> पर लॉगिन कर तथा रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंतर्गत Detailed Form cum Scrutiny लिंक को क्लिक कर उपलब्ध Edit Preference लिंक से सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन भरें। ऑफलाईन भरे गये सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
 - 1.1. सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन भरने के लिए उक्त लिंक दिनांक 26.11.2020 से 02.12.2020 (रात्रि 12.00) तक खुला है इसके पश्चात् कोई अवसर देय नहीं होगा।
 - 1.2. जिन अभ्यर्थियों ने केवल नॉन-टीएसपी विज्ञापन दिनांक 02.04.2018 के तहत आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी केवल नॉन टीएसपी के प्राथमिकता क्रम भरें तथा जिन अभ्यर्थियों ने केवल टीएसपी विज्ञापन दिनांक 04.05.2018 के तहत आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी केवल टीएसपी के सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
 - 1.3. जिन अभ्यर्थियों ने दोनों विज्ञापनों के तहत आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी नॉन-टीएसपी और टीएसपी(दोनों) के सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
 - 1.4. जिन अभ्यर्थियों ने नॉन-टीएसपी विज्ञापन के तहत एनजीई श्रेणी में भी आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी एनजीई श्रेणी के भी सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
 - 1.5. सेवा प्राथमिकता क्रम केवल ऑनलाईन ही भरे जाने हैं। अभ्यर्थी सेवा प्राथमिकता क्रम को सबमिट करने से पूर्व भरी गई सेवा प्राथमिकताओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। सेवा प्राथमिकता क्रम दर्ज (Submit) करने के उपरान्त कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाईन भरने के उपरान्त ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जावेगा।

(शुभम् चौधरी)
सचिव